# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः ज.वि.प्रा./स.स./बी.पी.सी.(बीपी)/2016/डी–1054 दिनांकः– 05/5/2016

## –:कार्यवाही विवरण:–

विषय :– भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 182वीं बैठक दिनांक 04.05.2016 को सांय 4.15 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई, जिसमें निम्नवत निर्णय लिये गये। उपस्थित सदस्यों का विवरण परिशिष्ट–"1" पर है।

| क्र. सं. | एजेण्डा संख्या | जोन | विषय | निर्णय |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 182.1 | – | भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 181वीं बैठक दिनांक 27.04.2016 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि के संबंध में। | भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 181वीं बैठक दिनांक 27.04.2016 को सम्पन्न हुई, के कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई। |
| 2. | 182.2 | 05 | मैसर्स नेशनल इन्जिनियरिंग इण्डस्ट्रीज कम्पनी खसरा नम्बर 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 348 ग्राम गोपालपुरा, जिला–जयपुर के संस्थागत उपयोग (हॉस्पिटल) के जारी आंशिक अधिवास प्रमाण–पत्र में भूखण्ड के क्षेत्रफल में संशोधन बाबत्। | भवन मानचित्र समिति के समक्ष सचिव, जविप्रा का पत्र क्रमांक जविप्रा/उपा/जोन–5/2016 /डी–1539 दिनांक 02.05.2016 एवं उपायुक्त जोन–5 द्वारा प्रेषित यू.ओ. नोट क्रमांक जविप्रा/उपा./जोन–5/16/ डी–1551 दिनांक 03.05.2016 के साथ संलग्न पी.टी. सर्वे प्रस्तुत कर अवलोकन किया गया।<br>उपायुक्त जोन–5 द्वारा समिति के समक्ष हॉस्पिटल ब्लॉक का हस्ताक्षरित मानचित्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें हॉस्पिटल के उपयोग में आ रही कुल 67,000 व.मी. क्षेत्रफल भूमि मय माप दर्शायी गई।<br>समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि बीपीसी (बीपी) की 180वीं बैठक दिनांक 22.02.2016 को अनुमोदन कर दिनांक 09.03.2016 को जारी किये गये अधिवास प्रमाण पत्र के स्थान पर जोन द्वारा प्रस्तुत संशोधित हस्ताक्षरित मानचित्र जिसमें हॉस्पिटल उपयोग हेतु 67,000 व.मी. क्षेत्रफल भूमि मय माप दर्शायी गई है का संशोधित अधिवास प्रमाण पत्र मानचित्र के साथ जारी किये जावें। |
| 3. | 182.3 | 12 | खसरा नम्बर 228, 229, 230, 232, 281/587, 281/288, 281/589, ग्राम–नृसिंहपुरा, सांगानेर, जयपुर के टी.डी. आर. के संबंध में। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् निम्न निर्णय लिये गये:–<br>1. राजस्थान आवास विकास एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. द्वारा अपने पत्र दिनांक 26.09.2014 के अनुसार 65 प्रतिशत टी.डी.आर. दिये जाने की अनुशंषा की गई है। आवेदक द्वारा अभी तक EWS/LIG फ्लैट्स का अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं किया गया है। अतः शेष 25 प्रतिशत टी.डी.आर. EWS/LIG फ्लैट्स का अधिवास प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने उपरान्त एवं 10 प्रतिशत Defect Liability Period उपरान्त कुल 35 प्रतिशत टी.डी.आर. RAVIL से प्रमाण पत्र प्राप्त होने के पश्चात् दिया जावेगा। अभी 65 प्रतिशत टी.डी.आर. अनुमोदित किया जावें।<br>2. आवेदक द्वारा टी.डी.आर. हेतु चाहे गये समस्त दस्तावेजों की फोटोप्रतिलिपि प्रस्तुत की गई है एवं उनके द्वारा अवगत करवाया गया है कि मूल प्रतिलिपि जोन 12 की पत्रावली में प्रस्तुत है। अतः टी.डी.आर. सर्टिफिकेट जारी करने से पूर्व उपायुक्त जोन से समस्त मूल दस्तावेज प्राप्त किये जानें के पश्चात् ही अग्रिम कार्यवाही की जावें। |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 3. | 182.3 | 04 | भूखण्ड संख्या ए–4, एयरपोर्ट एनक्लेव, टौंक रोड़, जयपुर के प्रस्तावित आवासीय अपार्टमेन्ट के संशोधित भवन मानचित्र अनुमोदन बाबत्। | प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किया गया। समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात् आवासीय भवन के भवन मानचित्र निम्नांकित शर्तों के साथ अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया:–<br>1. प्रस्तावित पार्किंग हेतु आवेदक से जविप्रा के हक में एक अण्डरटेकिंग व शपथ पत्र लिया जावें कि इसे पार्किंग उपयोग में लिया जावेगा एवं भवन विनियम 10.1.8 की शर्तो की पालना पूर्ण रूपेण करेगा।<br>2. प्रस्तावित भवन की ऊँचाई 15 मीटर से अधिक है अतः अग्नि सुरक्षा अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं प्रार्थी व वास्तुविद का भवन में भूकम्परोधी प्रावधान हेतु शपथ पत्र लिया जावें।<br>3. प्रश्नगत प्रकरण में सकल निर्मित क्षेत्रफल 20,000 वर्ग मीटर से अधिक प्रस्तावित है, अतः पर्यावरण विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जावें।<br>4. उपायुक्त जोन से स्वामित्व एवं लेखा रिपोर्ट प्राप्त की जावें।<br>उपरोक्तानुसार कार्यवाही पूर्ण होने एवं समस्त संदेय शुल्क जमा होने के पश्चात आवासीय उपयोग के भवन मानचित्र अनुमोदित कर जारी किये जावे। |

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ बैठक सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बी.पी.),
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक जविप्रा/स.स./बीपीसी(बीपी)/2016/डी–1054 दिनांकः– 05/5/2016

प्रतिलिपी निम्न को अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. निदेशक (अभियान्त्रिकी–द्वितीय), जविप्रा, जयपुर।
5. अति0 आयुक्त (पूर्व)/(प्रशासन)/(एलपीसी)/(भूमि) एवं बीआरटीएस, जविप्रा, जयपुर।
6. मुख्य नियंत्रक (प्रवर्तन), जविप्रा, जयपुर।
7. उपायुक्त जोन–4, 5, 12, जविप्रा, जयपुर।
8. सिस्टम एनालिस्ट, जविप्रा, जयपुर को भेजकर लेख है कि अविलम्ब जविप्रा वेबसाईट पर अपलोड कराने का श्रम करें।
9. विशेषाधिकारी, जनसम्पर्क, जविप्रा, जयपुर।

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)

परिशिष्ट–"1"

भवन मानचित्र समिति (बिल्डिंग प्लान) की 182वीं बैठक दिनांक 04.05.2016 को सांय 4.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में चिन्तन कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में उपस्थिति निम्नवत थी:–

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री शिखर अग्रवाल, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर। | अध्यक्ष, |
| 2. | श्री पवन अरोडा, सचिव, जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 3. | श्रीमती लंवग शर्मा, निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य, |
| 4. | श्री एम.एस. रत्नू, अति. आयुक्त (भूमि), जविप्रा, जयपुर। | सदस्य |
| 5. | श्रीमती रश्मि गुप्ता, आयुक्त (पूर्व), जविप्रा, जयपुर। | |
| 6. | मुकेश मित्तल, वरिष्ठ नगर नियोजक बीपीसी (बीपी), जविप्रा, जयपुर | सदस्य सचिव |

विशेष आमंत्रित :–

7. श्रीमती सीमा कुमार, उपायुक्त जोन–5, जविप्रा, जयपुर
8. श्रीमती उषा जैन, विशेषाधिकारी (जन सम्पर्क), जविप्रा, जयपुर।
9. श्री गोपाल सैनी, उप नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री अर्पित संचेती सहायक नगर नियोजक, बीपीसी–बीपी, जविप्रा, जयपुर।

5/5/16

वरिष्ठ नगर नियोजक एवं
सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (बीपी)